5296
पत्रांक/बुविप्रा/2024
दिनांक 22.03

कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटोकापी पर जारी किया जा रहा है)

मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएटस (कन्शॉ0) द्वारा विकसित हाईटेक टाउनशिप योजना, दादरी, जिला–गौतमबुद्ध नगर में स्थित ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड संख्या–02 सेक्टर–07 पर निर्मित टॉवर सी एण्ड डी के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री सुनील त्यागी, अवर अभियन्ता व श्री सत्यवीर चौधरी, प्रभारी सहायक अभियन्ता, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.07.2010 को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पार्ट पूर्णता प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

<u>शर्तें:–</u>

1. पूर्व अनुमोदित डी0पी0आर0 एवं स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में निर्धारित शर्तें यथावत् रहेगी।
2. जी0एच0–2, सेक्टर–07(फेयर–वे) योजनान्तर्गत 13 टॉवर में से वर्तमान में टॉवर सी एण्ड डी का पार्ट कम्पलीशन सार्टिफिकेट योजना के सम्पूर्ण सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त होने के उपरान्त स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. सभी वांछित एन0ओ0सी0 मानचित्र/डी0पी0आर स्वीकृत करते समय प्राप्त कर ली गयी है, इसके उपरान्त अगर कोई आवश्यकतानुसार एन0ओ0सी0 वांछित होगी तो पक्ष (विकासकर्ता) द्वारा प्राधिकरण में देनी होगी। तथा फायर, विद्युत सुरक्षा की एन0ओ0सी0 में जो शर्तें निधारित है उनका पूर्णतः पालन करना होगा।
4. दोनो टॉवरों के लिए विद्युत, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज की सुविधा हमेशा पूर्ण करनी होगी। स्ट्रक्चरल सैफ्टी की देखरेख करनी होगी।
5. सुरक्षा आदि के प्रबन्ध के साथ दैनिक आवश्यकता प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सुविधाओं का प्रबन्ध साइट पर ही करना होगा।
6. उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट एवं रेरा के नियमों का पालन करना होगा।

हस्ताक्षर 22.03.24

पदनाम सचिव

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण

कार्यालय की मुहर